[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDUM

NOTIFICATION NO. 02 /2011-INCOME TAX
(INCOME-TAX)

New Delhi, the 5 January 2011

S.O. (E.)- In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, (Central Board of Direct Taxes) number S.O. 1898(E), dated the 3rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 3rd August, 2010, in paragraph 2 for *"This notification shall come into force with effect from the date of its publication"*, read *"This notification shall be deemed to apply to projects approved by a local authority under the aforesaid scheme on or after the 1st day of April, 2004 and before 31st day of March, 2008 thereby making the incomes arising from such projects eligible for deduction under sub-section (10) of section 80IB from the Assessment Year 2005-06 onwards."*

[F.No.178/37/2006-ITA-I)

(RAMAN CHOPRA)
Director(ITA-1)

Explanatory Memorandum: . As the provisions of Section 80-IB (10) apply only to housing projects approved before 31.3.2008 the above notification would also be deemed to apply to housing projects approved by a local authority under the aforesaid scheme on or after the 1st day of April, 2004 and before 31st day of March, 2008 .

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

Copy to DG (system)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
***

नई दिल्ली, दिनांक 5 January 2011

शुध्दि पत्र

अधिसूचना सं. /2010- आयकर
(आयकर)

का.आ. (अ)- दिनांक 3 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 3 अगस्त, 2010 की का.आ.संसख्या 1898(अ) की अधिसूचना के अनुच्छेद 2 में ''यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी'' के लिए पढ़ें ''यह अधिसूचना पूर्वोक्त योजना के तहत अप्रैल, 2004 के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात तथा मार्च 2008 के 31वें दिवस के पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू समझी जाएगी जिससे कि धारा 80 झख की उप-धारा (10) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से आगे के लिए ऐसी परियोजनाओं से उद्भूत होने वाली आय पर कटौती की जा सकेगी ।

(फा.सं. 178/37/2006-आ.क.नि.I)

(रमण चोपड़ा)
निदेशक (आ.क.नि.-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन: चूंकि धारा 80 झख (10) के प्रावधान केवल 31/3/2008 के पूर्व अनुमोदित आवासी परियोजनओं पर ही लागू होते हैं अत: उपरोक्त अधिसूचना भी पूर्वोक्त योजना के तहत अप्रैल, 2004 के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात तथा मार्च, 2008 के 31वें दिवस से पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासीय परियोजनाओं पर लागू समझी जाएगी।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के पास),
नई दिल्ली